

RWD Works Division Sasaram-2

For adding Road in New MIS

Sl No.	Scheme	Division	Assembly	Block	sanction year	Name of Road	AA latter No. & date	Length (In Km)	Main Work Amount (In Lacs)	Maintenance Amount (In Lacs)	Contingency Amount	Total Amount (In lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NABARD	SASARAM-2	NOKHA	NOKHA	2020-21	Ghordha Pokhara To Eghara In Nokha	3195/07-09-2020	5.000	239.02602	24.17337	0.00000	263.19938


 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division Sasaram-2


 AEC

ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-43/2019 3195

/पटना, दिनांक-07/9/2020

प्रेषक,

संजय दूबे मा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के रोहतास जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, सासाराम-1 के अधीन नोखा प्रखंड के घोरडिही पोखरा से एघारा तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य जिसकी लम्बाई 5.00 कि० मी० निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रु० कुल राशि 336.798 लाख (तीन करोड़ छत्तीस लाख उनासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के रोहतास जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, सासाराम-1 के अधीन नोखा प्रखंड के घोरडिही पोखरा से एघारा तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य जिसकी लम्बाई 5.00 कि० मी० निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रु० कुल राशि 336.798 लाख (तीन करोड़ छत्तीस लाख उनासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना हेतु पथ की लम्बाई 5.00 कि० मी० एवं राशि 84.3910 लाख के लिए दिमागी पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-04-04/2006-4012 दिनांक 10.11.2006 के द्वारा प्रदत्त मूल प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित करते हुए 336.798 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
3. इस योजना का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार मुख्य अभियंता-1 ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रदत्त है। पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन की राशि 336.798 लाख रु० मात्र है, जो कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 252.407 लाख रु० अधिक है।
4. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-1 इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदित दर करवाया जायेगा।
5. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
6. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विषय कोड- 37-4515001030105 है के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि से विकसनीय होगा।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-1 संबंधित योजना की मौखिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के दस तारीख तक निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता, सासाराम एवं मुख्य अभियंता-1, पटना के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगा।
8. इस योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्वरूपी वित्त समिति की स्वीकृति सचिका संख्या- सं०- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-43/2019 के पृ० सं०-21-22/90 पर दिनांक 07.08.2020 को प्राप्त है।
9. इस योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सचिका सं०-मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-43/2019 के पृ० सं०-10/टि० पर दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त है।

जायेगी।

11. कार्यपालक अभियंता (PGU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/प्रविष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगा।
12. वित्त विभाग के सकल्य सख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपर्युक्त राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सं०-मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-43/2019 के पृ० सं०-13/टि० पर दिनांक 3.9.2020 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है अन्य मद में नहीं।
15. प्रावधानों की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को समय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु माग्रा को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

4/9/2020

(संजय पूर्व)
अपर सचिव

ज्ञापक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-43/2019 - 3195

/पटना, दिनांक-07/9/2020

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-43/2019

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण मन्त्र, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-43/2019 - 3195

/पटना, दिनांक-07/9/2020

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास दिनांक/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास/उप विकास, आयुक्त रोहतास/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्प्लोई ऑफिसर ब्राह्म/मुख्य अभियंता-1, पटना या० का० वि०/मु० अ०-4 (मुख्यालय) या० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, या० का० वि० कार्य अंचल, सासाराम/कार्यपालक अभियंता, या० का० वि० कार्य प्रमंडल, सासाराम-1/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (पीपी) कार्यलय प्रबंधन मॉडल) डाक बंगला रोड, पटना आई० टी० मैनेजर, या० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/9/2020

अपर सचिव

NABARD

AGREEMENT No. R108/45672/NABARD-55/20-21

Tender ID :- 2020_ECBIH_101301_1
Name of Work :- Construction of road from Ghordih
Q Pokhara to Eghara in Nokha Block
Name of Contractor :- Nand Kishore Singh
Bid Id :- 435070
Address :- Vill- Garura, P.O- Belwan
PS- Agrer, Distt- Rohtas
Estimated Cost
Construction Cost :- 23902602.00
Maintenance Cost :- 2417337.00
Total Cost :- 26319938.00
Agreement Amount :- 26288355.00
Ag. Amount in word :- Two Crore Sixty Two Lakh Eighty Eight
Thousand Three Hundred and Fifty Four
Only.
Estimated Rate : 26319938.51
Quoted Percentage :- **-12%**
Quoted Rate in Figure :- 26288354.58

Lowest Amount Quoted BY: NAND KISHORE SINGH(26288354.58)

Date of Work Start :- 20.03.2021
Time of Completion :- 19.03.2022
Defect Liability Period :- 5 yrs.

1. PAN No.
2. GST No.
3. REGISTRATION No.



बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt. of Bihar

EXECUTIVE ENGINEER
Executive Engineer

R.W.D Works Division, Sasaram-2

Nand Kishore Singh



बिहार BIHAR

आयोगार पदाधिकारी
संलग्न, सासाराम

AGREEMENT

This agreement, made the 20.03.2021 between Executive Engineer, Rural Works Department, Work Division, **Sasaram-2** of the one part, and **NAND KISHORE SINGH (BID ID 435070)** Whereas the Employer is desirous that the contractor execute Road from **Construction of road from Ghordiha Pokhara to Eghara in Nokha Block Tender ID: 2020_ECBIH_101301_1** and thereafter undertake routine maintenance for five years; and the Employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects and routine maintenance therein at a cost of **26288355.00** (Two Crore Sixty Two Lakh Eighty Eight Thousand Three Hundred and Fifty Four Only.)

Sd
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. (W) DIVISION
SASARAM-2

Nand Kishore Singh